अमर उजाला

7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण : उत्तर प्रदेश : उत्तराखंड : हिमाचल : जम्मू-कश्मीर : दिल्ली : हरियाणा : पंजाब : चंडीगढ़

amarujala.com

बरेली

रविवार, 30 जुलाई 2017

PAGE NO.7 : MIDDLE RIGHT

69 मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन पर लगी रोक

मान्यता से अधिक सीटों पर एडमिशन लेने और मानक पूरे न करने का था मामला

18 कॉलेजों में मान्यता से अधिक एडमिशन और 51 में मानक पूरे न होने का मामला

अमर उजाला ब्यूरो

बरेली।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने देश के 69 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी है। एमसीआई ने अपनी वेबसाइट पर इनकी कॉलेजों की सूची भी जारी की है साथ ही निर्देश हैं कि छात्र इन कॉलेज संचालकों की बात में न आएं। स्टेटस जांचने के बाद ही एडमिशन लें। कुछ कॉलेज में मान्यता से अधिक सीटों पर एडमिशन लेने का मामला है तो कुछ मानकों पर फेल हुए।

एमसीआई द्वारा जारी 69 मेडिकल कॉलेजों की सूची में केवल उत्तर प्रदेश के ही 13 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इन कालेजों को शैक्षिक सत्र 2017-18 व 19 में एडमिशन प्रक्रिया से डिबार किया है। 18 कॉलेज ऐसे हैं जहां 100 सीटें आवंटित थी, लेकिन कॉलेज ने इससे ज्यादा प्रवेश ले लिए। कुछ ने 100 की 150 तो कुछ ने 100 की 130 या 200 एडमिशन ले लिए। 51 मेडिकल कॉलेजों को पूरी तरह से शैक्षिक सत्र 2017-18 व 19 से डिबार किया गया है। एक मेडिकल संचालक के अनुसार देश के 69 मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन रोके गए पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सोमवार या मंगलवार को इसपर फैसला हो जाएगा। नौ अगस्त से नीट की सेकेंड काउंसलिंग शुरू हो रही है। उससे पहले मामला निपट जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। दूसरी तरफ एमसीआई ने निर्देश जारी किए हैं कि छात्र एडमिशन लेने से पहले एक बार एमसीआई की वेबसाइट पर कॉलेजों का स्टेटस जरूर चेक कर लें। उसके बाद ही प्रवेश लें। यह भी कहा गया है कि कॉलेज संचालक छात्रों को भ्रम में भी डाल सकते हैं।